

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10939/2024

रमेश चंद्र शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू लाल शर्मा, आयु लगभग 74 वर्ष,
निवासी 17, दादू कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके सचिव और आयुक्त, कृषि विभाग (ग्रुप-1),
पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, कृषि और पदेन विशेष सचिव, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान,
जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जयपुर संभाग, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), जयपुर।
5. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, वाटरशेड विभाग और मृदा
संरक्षण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान के
माध्यम से।
6. मुख्य अभियंता, वाटरशेड विभाग और मृदा संरक्षण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
7. कार्यकारी अभियंता, वाटरशेड विभाग और मृदा संरक्षण विभाग,
संभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

के साथ संबद्ध

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11267/2024

1. निर्मला कुमारी पुत्री यज्ञदत्त, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी मकान नंबर (301) 641, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान।
2. मथुरा लाल लोढा पुत्र गोपाल लाल लोढा, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी लोढा बस्ती, कमालपुरा, झालरापाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान।
3. बनवारी लाल शर्मा पुत्र कृष्ण चंद शर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी मंदिर चौक, जूनाखेड़ा, झालावाड़, राजस्थान।
4. महावीर कुमार जैन पुत्र दीप चंद जैन, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी 114, नेमी नगर, लाल बाग, झालरापाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान।
5. अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल गफूर, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी इमामबाड़ा मोहल्ला, मस्जिद के पास, झालावाड़, राजस्थान।
6. भगवान सहाय माली पुत्र मांगी लाल माली, आयु लगभग 77 वर्ष, निवासी ढाणी रोल्या वाली, पोस्ट हासपुर, वाया श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

4. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

5. राजस्थान राज्य, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय,

राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11271/2024

1. नौरंग लाल पुत्र मनोहर लाल, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट घोड़ीवारा खुर्द, मुकुंदगढ़, तहसील नवलगढ़, झुंझुनू, (राज.)।
2. आशीष कुमार राहिड़ी पुत्र नंद लाल राहिड़ी, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 28, बावड़ी गेट के पास, नवलगढ़ झुंझुनू, (राज.)।
3. सांवर मल सैनी पुत्र कुशला राम, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, ढाणी महादास की, नवलड़ी, झुंझुनू, (राज.)।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, (राज.)।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राज.)।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।

5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला झुंझुनू, (राज.)।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11272/2024

श्रीमती संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय गिरधारी लाल गरवा, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम घोड़ीवारा खुर्द, पोस्ट मुकुंदगढ़, तहसील नवलगढ़, झुंझुनू (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज) के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज)।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर (राज)।
4. जिला कलेक्टर, जिला झुंझुनू, (राज)।
5. तहसीलदार, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, (राज)।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11280/2024

विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ला पुत्र श्री ए.पी. शुक्ला, आयु लगभग 63 वर्ष,
निवासी 27-बी, शिव शक्ति नगर, इस्कॉन रोड, मानसरोवर, जयपुर,
राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान में।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, जयपुर, राजस्थान।
4. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान।
5. उपायुक्त एवं उप सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर, राजस्थान।
6. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर,
राजस्थान।

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11295/2024

1. कैलाश चंद वेदवाल पुत्र गंगाबिशन, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी आदर्श नगर कुटी, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान।

2. डॉ. नरेंद्र कुमार स्वामी पुत्र एन.एल. स्वामी, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 4, आरपीए, शास्त्री नगर, पानीपेच, जयपुर, राजस्थान।
3. मानक चंद सोनी पुत्र नंद लाल, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी 59, गणेश नगर-5, केडिया हाउस रोड, नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान।
4. फूल चंद वर्मा पुत्र प्रभु लाल, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी मकान नंबर 251-252, केशवपुरा, सेक्टर-4, कोटा, राजस्थान।
5. बजरंग लाल वर्मा पुत्र काजोड़ी लाल, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी 8-सी 43, विज्ञान नगर एक्सटेंशन, कोटा, राजस्थान।
6. श्रीमती तस्लीम अख्तर पत्नी अब्दुल जलील अंसारी, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी गेंटा हवेली, चांद मंजिल, राधा विलास, पाटनपोल, कोटा, राजस्थान।
7. रमेश कुमार जैन पुत्र कैलाश चंद्र जैन, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी मकान नंबर 916, बसंत विहार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान।
8. कृष्ण मुरारी दुबे पुत्र शादी लाल दुबे, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी खारी कुड़िया के पास, नाला मोहल्ला, झालावाड़, राजस्थान।
9. सुनील कुमार पुत्र सोहन लाल, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 13, माधव नगर, करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य, इसके सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. राजस्थान राज्य, उप सचिव, शहरी विकास विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
7. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), इसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के माध्यम से।
8. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर, राजस्थान।
9. सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा, राजस्थान।
10. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
11. निदेशक, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार, जी-3, राजमहल रेजीडेंसी नियर एरिया, सिविल लाइंस फाटक, सी-स्कीम, जयपुर।
12. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, लोक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
13. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
15. राजस्थान राज्य, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय,

राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

16. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11300/2024

1. डॉ. पदम चंद जैन पुत्र श्री कपूर चंद जैन, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 203 अक्षत कनक प्रभा, प्लॉट नंबर बी-18, राजेंद्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर (राज.)।
2. डॉ. अलका गुप्ता पत्नी श्री महेश अग्रवाल, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 7, आरके कॉलोनी, सुभाष नगर की छोटी पुलिया के पास, भीलवाड़ा, (राज.)।
3. डॉ. मगन पाल पुत्र श्री बलजीत सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी मकान नंबर 8, हनुमान कॉलोनी, मॉडल टाउन, जगतपुरा रोड, जयपुर (राज.)।
4. डॉ. अशोक कुमार सुथार पुत्र श्री ईश्वर सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ईश्वर की चक्की, फेफाना, 1 केएनएन, फेफाना, हनुमानगढ़, (राज.)।
5. डॉ. नागेश कुमार पुत्र मित्र पाल सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 101, लक्ष्मी नगर, काका जी की कोठी के सामने, भरतपुर (राज.)।
6. डॉ. महेश कुमार व्यास पुत्र मोहन लाल व्यास, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, मकान नंबर 236 बी, दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ (राज.)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके संयुक्त सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11345/2024

रामनिवास पुत्र गोकुल राम, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी ग्राम घसेड़ा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज) के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज)।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर,
जयपुर (राज)।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. जिला, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11435/2024

1. मोहन लाल अग्रवाल पुत्र श्री मान चंद, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी गुलाल कुंड, मथुरा गेट के बाहर, भरतपुर राज.।
2. सुरेश चंद पुत्र श्री राम सिंह, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी बी-नारायण गेट, कारीगर मोहल्ला, भरतपुर, राज.।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राज. के माध्यम से।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर राज.।
3. अतिरिक्त निदेशक (भूवैज्ञानिक), खान एवं भूविज्ञान विभाग राज.।
4. वरिष्ठ भूविज्ञानी, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर राज.।
5. अधीक्षण खान अभियंता, भरतपुर वृत्त, भरतपुर राज.।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर,
जयपुर राज.।
7. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, भरतपुर राज.।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18963/2023

बृजेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र केदार लाल गुप्ता, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी गर्ल्स स्कूल के पास, टोडाभीम, जिला करौली (राज.।)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज) के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज)।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर,
जयपुर (राज)।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, करौली, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोरावली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11341/2024

धर्म पाल पुत्र सूरज भान, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी ग्राम भालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज.)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज) के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज)।

3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर,

जयपुर (राज)।

4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू, राजस्थान।

6. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढाढोत कलां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20628/2023

1. बिसना राम सैनी पुत्र श्री मंगल चंद, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी बागोरियों की ढाणी, ग्राम व पोस्ट चिराना, जिला झुंझुनू।

2. फूलचंद महला पुत्र श्री बलदेवराम, निवासी मुकाम पोस्ट भोडकी, जिला झुंझुनू।

3. सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय छोदू सिंह, निवासी मुकाम पोस्ट काकराना, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

4. मदनलाल बलाई पुत्र श्री दुलाराम, निवासी मुकाम पोस्ट चिराना, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज) के माध्यम से।

2. जिला कलेक्टर, झुंझुनू राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10765/2024

पूरन मल कीर पुत्र श्री देवी लाल कीर, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कदेड़ा, जिला केकड़ी (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, लालगढ़ रोड, बीकानेर (राज.)।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान ज्योति नगर,
जयपुर (राज.)।
5. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, अजमेर क्षेत्र अजमेर, राजस्थान (राज.)।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, अजमेर (राज.)।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, केकड़ी, (राज.)।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5691/2024

श्री रमेश चंद विजय पुत्र रामलक्ष्मण, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी 443, महावीर नगर द्वितीय आनंदपुरा @ फूटा तालाब पी.आई.पी कोटा, लाडपुरा कोटा, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर,
जयपुर (राज.)।

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10766/2024

खेमराज वर्मा पुत्र श्री मनमोहन वर्मा, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी- पाबू जी महाराज के पास, माध मोहल्ला, मेहरू कलां, सावर जिला केकड़ी (राज.)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान लालगढ़ रोड, बीकानेर (राज.)।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान ज्योति नगर,

जयपुर (राज.)।

5. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, अजमेर क्षेत्र अजमेर, राजस्थान (राज.)।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक केकड़ी (राज.)।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, केकड़ी (राज.)।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10779/2024

श्रीमती चंद्र कांता शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी – भम्पुरी मोहल्ला तहसील सावर- केकड़ी जिला अजमेर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान ज्योति नगर,

जयपुर (राज.)।

3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग निदेशालय, राजस्थान, अजमेर।
4. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11281/2024

मुखराज मीणा पुत्र चंपा राम, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी मांडावारी तहसील लालसोट जिला दौसा, राजस्थान (रीडर, एसडीओ, लालसोट, राजस्व विभाग के पद पर सेवानिवृत्त) पीपीओ संख्या 1062361 (आर)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्व मंडल, अजमेर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।
3. कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, जिला दौसा, राजस्थान।
4. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11282/2024

1. राधे श्याम रैगर पुत्र श्री सोहन लाल रैगर, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी मीरा कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, दौसा, राजस्थान (वरिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1174429(R)
2. कैलाश नारायण शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा, निवासी वल्लभ नगर, श्याम मंदिर के पीछे, अमरनाथ कॉलोनी के पास, न्यू मंडी रोड, दौसा, राजस्थान (सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1099107(R)

3. अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री लाला राम गर्ग, निवासी सोमनाथ नगर, दौसा (अतिरिक्त निजी सचिव के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1028573(R)
4. सत्य प्रकाश शर्मा पुत्र कैलाश चंद शर्मा, निवासी मकान नंबर 179, विकास कॉलोनी, विस्तार वासुदेव नगर मेला मैदान के पीछे, दौसा, राजस्थान (निरीक्षक भू-अभिलेख के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1182825(R)
5. महाराज सिंह सैनी पुत्र बुद्धि सिंह सैनी, निवासी तिरुपति नगर, रामकुंड, हाउसिंग बोर्ड के पास, दौसा, राजस्थान (निरीक्षक भू-राजस्व के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1056788(R)

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्व मंडल, अजमेर, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।
3. कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, जिला दौसा, राजस्थान।
4. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11289/2024

प्रकाश चंद्र शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी डी-133, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर-राज.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर, अपने रजिस्ट्रार, अजमेर (राज.) के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11290/2024

1. राजेश भाटिया पुत्र श्री पी.एल. भाटिया, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 3/143, जवाहर नगर, जयपुर (राज.)
2. प्रवीण पाल सिंह पुत्र श्री जतन सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी सी/ओ श्री गुलाब सिंह जी निरवान, 38 ए, ए.के. गोपालन नगर, जसवंतनगर, जयपुर (राज.)
3. कुमारी अर्चना जैन पुत्री श्री मान सिंह जैन, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 46, अर्चना जैन, सरती नगर, यमुना पथ, श्याम नगर, जयपुर (राज.)
4. सत्य नारायण वर्मा पुत्र श्री भैरु राम वर्मा, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी ए-212, नेहरू नगर, पानी पेच, जयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर (राज.)।

3. राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, अपने महाप्रबंधक के माध्यम से, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर (राज.)।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11320/2024

1. राजेश तिवारी पुत्र श्री प्रभु नारायण तिवारी, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ई-764, नकुल पथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज.)
2. पप्पू लाल शर्मा पुत्र बनवारी लाल जोशी, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ए-146, नारायणपुरी-बी, झोटवाड़ा, जयपुर, सेवानिवृत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज.)
3. गजानंद शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 6, ब्राह्मणों का मोहल्ला, धौली, जयपुर सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी शास्त्री संस्कृत कॉलेज, चिथवाड़ी, जयपुर (राज.)
4. अर्चना भातरा पत्नी कमल भातरा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 348, महावीर नगर-2, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षिका (संस्कृत), सरकारी प्रवेशिका संस्कृत स्कूल, सिरौली टीबा की ढाणी, जयपुर
5. रामअवतार शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी वीपीओ लालपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, संभागीय कार्यालय, संस्कृत शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर

6. रामस्वरूप मीणा पुत्र बिरबल मीणा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी मीणा की ढाणी, वीपीओ महापुरा, जिला सवाई माधोपुर, सेवानिवृत्त स्थापना अधिकारी, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज.)
7. रमेश चंद्र कोली पुत्र मूलचंद कोली, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी बाबा रोड, श्याम जी के गोदाम वाली गली, न्यू दादाबाड़ी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.) सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, सरकारी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल मंडल, जिला भीलवाड़ा
8. कृष्णा पारीक पत्नी श्याम प्रकाश पारीक, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 28, सोनकिया बाग, अलका थिएटर के पीछे, विद्याधर नगर, जयपुर, सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षिका (संस्कृत), सरकारी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल, जयपुर
9. प्रकाश चंद्र शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी वीपीओ बीलावी, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू, सेवानिवृत्त पीटीआई ग्रेड- II, सरकारी शास्त्री संस्कृत कॉलेज, चिथवाड़ी, जयपुर
10. नाथू सिंह तंवर पुत्र सुल्तान सिंह तंवर, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, बिरद सिंह की ढाणी, रामदेवरा, जिला जैसलमेर, सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक, सरकारी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल रामदेवरा, जैसलमेर।
11. जितेंद्र कुमार गौड़ पुत्र रामावतार शर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी एच-67, इंदिरा नगर, झुंझुनू सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक (संस्कृत), सरकारी उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल बसंत विहार, झुंझुनू

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, द्वितीय तल, ब्लॉक-6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11323/2024

1. गोपाल लाल जोशी पुत्र कांति प्रसाद, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी नाला मोहल्ला, जिला दौसा, राजस्थान (शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1198939 (R)
2. विश्वनाथ जोशी पुत्र श्री कांती प्रकाश, निवासी सिकंदरा, जिला दौसा, राजस्थान (शिक्षा विभाग में शिक्षक ग्रेड-III के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1411232391 (R)
3. रमेश चंद स्वंकर पुत्र राधेश्याम, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी मलारना झूंगर, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान (शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1089506 (R)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, शिक्षा विभाग के सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक शिक्षा अधिकारी, दौसा, राजस्थान।

3. निदेशक शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
4. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15744/2023

निर्मला शर्मा पत्नी बृजेंद्र कुमार शर्मा, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी 279, गुलाब बाग के सामने, करौली, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, सरकारी सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, करौली।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10895/2024

1. रामनिवास मीणा पुत्र बहादुर जी, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी 91, हनुमान जी के मंदिर के पास, केशोपपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा, राजस्थान

2. मधु बाला पंजाबी पत्नी संत लाल पंजाबी, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी वीरू लस्सी वाले के पास, संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
3. आर.पी. शर्मा पुत्र नवल किशोर, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी 9-एफ-36, महावीर नगर-III, कोटा, राजस्थान।
4. नरेंद्र कुमार नंदवाना पुत्र धन्ना लाल नंदवाना, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी 3-ई-8, महावीर नगर-III, कोटा, राजस्थान।
5. बृज मोहन पाठक पुत्र बांके लाल पाठक, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 2, वीरेंद्र नगर, बाल मंदिर कॉलोनी, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
6. उर्मिला शर्मा पत्नी द्वारका प्रसाद शर्मा, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी वीपीओ टोक्सी, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।
7. घासी लाल मीणा पुत्र रामकरण मीणा, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी वीपीओ चारनेत, तहसील डूणी, जिला टोंक, राजस्थान।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

5. राजस्थान राज्य, अपने प्रधान सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान, भारत के माध्यम से।
6. राजस्थान राज्य, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर के माध्यम से।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
8. राजस्थान राज्य, संयुक्त सचिव, कृषि (समूह-1) विभाग, सरकारी सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
9. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
11. आयुक्त, उद्योग वाणिज्य और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
12. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक (गैर-राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
14. राजस्थान राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
15. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11339/2024

1. तारा चंद पुत्र श्री सोहन लाल, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी गांव-गढ़ भीतर, तहसील- वैर, भरतपुर राज.

2. देवेंद्र नाथ पुत्र श्री दल चंद, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी गगन एंटरप्राइज मेन मार्केट, नगर, हिंगोटा, भरतपुर, राज.

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर राज. के माध्यम से।
2. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, जयपुर राज.।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, भरतपुर राज.।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, एन.सी.आर. अलवर राज.।
5. सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, जिला उपखंड (वैर) भरतपुर राज.।
6. सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, जिला उपखंड (कठूमर) अलवर।
7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर राज.।
8. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, भरतपुर राज.।

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11431/2024

अमर सिंह मीणा पुत्र श्री रामसे, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी गांव- नसवाड़ा, पोस्ट- हलेना, तहसील- वैर, भरतपुर राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर राजस्थान।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, विभाग ज्योति नगर, जयपुर राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, विभाग भरतपुर राज.।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11434/2024

अतरम सिंह पुत्र श्री करण सिंह रमजानी, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी गांव और पोस्ट हलेना तहसील- वैर, भरतपुर राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर, राजस्थान।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, वैर, जिला भरतपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, विभाग, ज्योति नगर, जयपुर राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, विभाग, भरतपुर राज.।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11441/2024

सुरेश कुमार गर्ग पुत्र श्री मदन लाल गर्ग, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी 3, गुलजार बाग कॉलोनी, डॉ. दिगंबर सिंह अस्पताल आगरा रोड, भरतपुर राजस्थान के पास।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रशासनिक सचिव वित्त (राजस्व), जयपुर राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, विभाग, ज्योति नगर, जयपुर राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, विभाग, भरतपुर राज.।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18421/2023

प्रभु दयाल पुत्र श्री रामनाथ, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी पी-64, श्याम एन्क्लेव, पांच्यवाला, सिरसी रोड, जयपुर-302034।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. अतिरिक्त, पुलिस महानिदेशक, खुफिया, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11279/2024

1. बद्री सैनी पुत्र श्री गंगाधर सैनी, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी रामपुरी कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा, राजस्थान (लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1058656 (R)
2. सांवर खान पुत्र श्री अकबर खान, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी किला सागर मोहल्ला, जिला दौसा, राजस्थान (लोक निर्माण विभाग में सहायक के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1058622 (R)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. एईएन, उपखंड- I, जिला दौसा, राजस्थान।
3. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11335/2024

वेद प्रकाश शर्मा पुत्र दुर्गा लाल शर्मा, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी राज नगर-ए, बजरिया, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान (वन विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त) पीपीओ नंबर 1127675 (R)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. मृदा संरक्षण अधिकारी (कृषि), बनास नदी परियोजना, वन विभाग, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
3. सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11436/2024

1. डॉ. राजेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी मकान नंबर 24, वार्ड नंबर 46, विजय सिंह पथिक नगर, पूजा मार्ग, धोलाभाटा, अजमेर।
2. श्रीमती प्रतिभा शर्मा पत्नी डॉ. मनोज शर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 7, हर्ष विहार कॉलोनी, माया मंदिर के पीछे, जयपुर रोड, अजमेर।
3. सुल्तान सिंह जाट पुत्र हनुमान सहाय जाट, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी गांव इश्वराला, पीओ बिलोची, वाया मोरीजा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. आशा सोमानी पत्नी जगदीश लाल सोमानी, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 2-एच-10, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।
5. राम कुमार त्रिवेदी पुत्र जानकी लाल त्रिवेदी, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी 482, नीलकंठ कॉलोनी विस्तार योजना, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा।

6. बाल मुकंद सोमानी पुत्र सोहन लाल सोमानी, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी आई-120, आजाद नगर, भीलवाड़ा।
7. रमजान मोहम्मद रंगरेग पुत्र जमालुद्दीन, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी 6, मस्जिद मोहल्ला, आसींद, भीलवाड़ा।
8. हफीज मोहम्मद पठान पुत्र लाल मोहम्मद पठान, आयु लगभग 78 वर्ष, निवासी दरगाह रोड, आसींद, भीलवाड़ा।
9. माधव लाल गुर्जर पुत्र धना लाल गुर्जर, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी बस स्टैंड, अगुंचा, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा।
10. भगवती लाल जिंजर पुत्र देवी लाल जिंजर, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी हाथी वाले मंदिर के सामने, वार्ड नंबर 19, आसींद, भीलवाड़ा।
11. श्रीमती ज्ञान मेहता पत्नी ओम प्रकाश मेहता, (मृतक) उनके पति ओम प्रकाश मेहता पुत्र छगन लाल मेहता के माध्यम से, आयु लगभग 77 वर्ष, निवासी गुरुकृपा भवन, गोपाल गौशाला के पास, वार्ड नंबर 8, गुलाबपुरा ग्रामीण, भीलवाड़ा।
12. डॉ. कुसुम श्रीवास्तव पत्नी विनोद चंद्र श्रीवास्तव, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी स्वराज विला, डायमंड कॉम्प्लेक्स, नवरतन लेन, उदयपुर।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

5. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर।

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा

श्री राम प्रताप सैनी के साथ

श्री गिरिराज राजोरिया,

श्री आमिर खान और

श्री कपिल खंडेलवाल

श्री नार्गेद्र शर्मा

श्री जितेंद्र कुमार टाकर

श्री महेंद्र कुमार सैनी

श्री अजय राज टांटिया

श्री सुधीर यादव

श्री अक्षय यादव

श्री भरत यादव

श्री गोपाल गुप्ता

डॉ. महेश शर्मा

श्री सुदेश पंवार

श्री अखिल सिम्लोटे

श्री रवि कांत अग्रवाल

श्री कैलाश चंद्र शर्मा के साथ

सुश्री निधि शर्मा

श्री हनुमान चौधरी

श्री विकास जाखड़

श्री धर्मेन्द्र फगेरिया

सुश्री छवि चतुर्वेदी

प्रतिवादीगण की ओर से : श्री राजेंद्र प्रसाद, एजी (वरिष्ठ अधिवक्ता) के साथ सुश्री हर्षिता ठकरा

श्री सुरेंद्र सिंह नरुका, एएजी के साथ

श्री एस.एस. निरवान और

श्री विक्रम शर्मा

श्री भुवनेश शर्मा, एएजी

श्री बसंत सिंह छाबड़ा, एएजी के साथ

श्री रामधन, सहायक जी.सी.,

श्री अविनाश चौधरी,

श्री राहुल गुप्ता और

सुश्री श्रुति पारीक, सहायक जी.सी.

सुश्री माही यादव, एएजी के साथ

सुश्री अर्चना, श्री राहुल कुमार,

श्री क्षितिज और

सुश्री युविका पिलानिया, एजीसी

सुश्री प्रत्युशी मेहता

श्री कपिल प्रकाश माथुर, एएजी की

ओर से श्री मनोज शर्मा, एएजी के साथ

श्री नमन माहेश्वरी और

श्री आदित्य प्रताप सिंह

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड**आदेश****15/07/2024**

रिपोर्ट करने योग्य

1. चूंकि इन याचिकाओं में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए पार्टियों के वकील की सहमति से, सभी मामलों को इस स्तर पर अंतिम निपटान के लिए एक साथ लिया जाता है।
2. सभी याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन याचिकाओं को दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें प्रतिवादीगण के खिलाफ उन्हें 1 जुलाई से 30 जून तक उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि देने और परिणामस्वरूप, उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
3. शुरुआत में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इन याचिकाओं में शामिल विवाद को इस न्यायालय द्वारा पहले ही याचिकाओं के एक बैच में निपटाया जा चुका है, जिसमें मुख्य मामला **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** के रूप में था, जिसका निर्णय 21.07.2023 को किया गया था। वकील का कहना है कि उपर्युक्त फैसले को राज्य द्वारा उच्च अपीलीय फोरम में चुनौती नहीं दी गई थी और राज्य ने इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, **विजय सिंह** (supra) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अंतिम रूप प्राप्त हो गया है। वकील का कहना है कि इन सभी याचिकाओं को **विजय सिंह** (supra) के मामले में इस न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय के आलोक में निपटाया जाए और इन रिट याचिकाओं में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए जाएं।

4. विद्वान महाधिवक्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद (वरिष्ठ अधिवक्ता) का कहना है कि सरकार उन सभी व्यक्तियों के दावे के निपटारे के लिए एक तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया में है जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। वकील का कहना है कि हाल ही में सरकार ने अपने बजट भाषण में इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का ध्यान रखा है और घोषणा की है कि 1 जुलाई से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी लोगों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। वकील का कहना है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को ये सांकेतिक लाभ देने के लिए, कुछ नियमों को तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को बकाया का भुगतान किया जा सके। वकील का कहना है कि इन सभी याचिकाओं को सरकार द्वारा दिए गए बजट भाषण के आलोक में निपटाया जाए।

5. विद्वान महाधिवक्ता आगे कहते हैं कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक देरी के बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वकील का कहना है कि वे काफी समय से अपने अधिकारों पर सो रहे थे, इसलिए इन परिस्थितियों में, उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें देरी और निष्क्रियता है। वकील का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम तरसेम सिंह, 2008 (8) एससीसी 648** में रिपोर्ट किए गए मामले में उपरोक्त तथ्य का ध्यान रखा है और राहत को केवल एक विशेष अवधि के लिए उन व्यक्तियों तक सीमित रखा है, यानी ऐसे व्यक्ति रिट याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल पहले के बकाया का लाभ पाने के हकदार होंगे। वकील का कहना

है कि इन परिस्थितियों में, **तरसेम सिंह** (supra) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में तत्काल याचिकाओं का निपटारा किया जाए और अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित व्यक्तियों, जो अधिकारियों से संपर्क करेंगे, को तीन साल के बकाया की राहत देने का विवेक दिया जाए।

6. बार में दिए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया।

7. यह तथ्य विवादित नहीं है कि इन सभी याचिकाओं में शामिल विवाद को इस न्यायालय द्वारा **विजय सिंह** (supra) के मामले में पहले ही निम्नलिखित टिप्पणियों और पैराग्राफ 30 से 42 में दिए गए निर्देशों के साथ तय किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैं:-

"30. एक कर्मचारी को वेतन और वेतन वृद्धि का भुगतान उसकी/उसकी सेवाओं को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। वार्षिक वेतन वृद्धि ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है ताकि वे पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और यह कि वेतन और भत्ते भी पद से जुड़े होते हैं। इस प्रकार वेतन में वृद्धि प्रगतिशील नियुक्ति का एक अभिन्न अंग है और जिस दिन इसे अर्जित किया जाता है उसके बाद वाले दिन से अर्जित होती है।

31. वेतन वृद्धि के लिए यह प्रावधान है कि यह उस दिन के बाद वाले दिन से अर्जित होती है जिस दिन इसे अर्जित किया जाता है। वेतन वृद्धि का अनुदान कोई साधारण बात नहीं है और यह पूरे वर्ष के लिए सरकारी कर्मचारी के अच्छे

आचरण पर निर्भर करता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वेतन वृद्धि अर्जित होने से पहले पूरे वर्ष के लिए अच्छे आचरण का पालन किया जाना चाहिए।

32. वार्षिक वेतन वृद्धि हालांकि पद से जुड़ी होती है और उस दिन के बाद देय हो जाती है जिस दिन इसे अर्जित किया जाता है, लेकिन जिस दिन वेतन वृद्धि अर्जित होती है या देय हो जाती है वह निर्णायक या निर्धारण करने वाली नहीं होती है। प्रगतिशील नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली सांविधिक योजना में वेतन वृद्धि एक वर्ष से अधिक की सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा अच्छे आचरण के अधीन देय होती है। एक सरकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारित पैमाने में न्यूनतम से अधिकतम तक, आवधिक वेतन वृद्धि से बढ़ता है। इसलिए वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार तब क्रिस्टलीकृत होता है जब सरकारी कर्मचारी अच्छे आचरण के साथ सेवा की अपेक्षित लंबाई पूरी कर लेता है और अगले दिन देय हो जाता है।

33. कानून तय है कि जहां कानून में लाभ प्राप्त करने का अधिकार क्रिस्टलीकृत हो जाता है, वहां इसका इनकार मनमाना होगा, जब तक कि यह एक वैध कारण के लिए न हो। वेतन वृद्धि के लाभ से इनकार करने का एकमात्र कारण, योजना से निकाला गया है, वह यह है कि सरकारी कर्मचारी उस दिन पद पर नहीं होता है जब वेतन वृद्धि देय हो जाती

है। यह वेतन वृद्धि से इनकार करने का एक वैध आधार नहीं हो सकता है क्योंकि जिस दिन वेतन वृद्धि अर्जित होती है उसके बाद वाला दिन केवल अच्छे आचरण के साथ एक वर्ष की सेवा पूरी करने के उद्देश्य की पूर्ति करता है और इसके लिए कोई अन्य उद्देश्य नहीं निकाला जा सकता है। जिस दिन के बाद वेतन वृद्धि अर्जित होती है, उसकी अवधारणा का अन्यथा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस उद्देश्य की वह पूर्ति करता है, उसके अलगाव में, पात्रता की तारीख के बाद के दिन का निर्धारण करने के लिए कोई बोधगम्य अंतर नहीं है और न ही इसके द्वारा कोई उद्देश्य प्राप्त किया जाना है। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी ने पहले ही एक साल की सेवा पूरी कर ली है और वेतन वृद्धि अर्जित कर ली है बशर्ते उसका आचरण अच्छा हो। इस प्रकार यह पूरी तरह से मनमाना होगा, यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष के लिए उसके अच्छे आचरण के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि से केवल इस कारण से इनकार कर दिया जाता है जैसा कि ऊपर कहा गया है। वर्तमान मामले में वेतन वृद्धि के भुगतान की योजना को समग्र रूप से पढ़ना होगा और 2008 के नियमों के नियम 14 और 2017 के नियमों के नियम 13 के एक हिस्से को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि दूसरे हिस्से को विफल किया जा सके, खासकर जब दूसरा हिस्सा सरकारी कर्मचारी में वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार बनाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रगतिशील नियुक्ति की योजना बरकरार रहे और एक

सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्जित अधिकार सुरक्षित रहें और एक आकस्मिक परिस्थिति के कारण इनकार न किया जाए।

34. पी. अय्यमपेरुमल (supra) में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार जब कर्मचारियों ने 30 जून को एक पूर्ण वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, तो एक वर्ष की पूरी सेवा के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय थी और उस समय तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका था। पी. अय्यमपेरुमल (supra) का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम हो गया है। इसके बाद, इस निर्णय का पालन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गोपाल सिंह (supra) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पी.पी. पांडे बनाम यू.पी. राज्य, (2021) आईएलआर 1 ऑल. 882 में और नंद विजय सिंह (supra) के मामले में किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन (supra) के मामले में और सी.पी. मुंडिनामनी (supra) के मामले में लगभग सभी उच्च न्यायालयों के प्रत्येक निर्णय पर विचार किया है।

35. इन याचिकाओं में शामिल विवाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो मामलों में मुहर लगाकर समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार, अंतिम निर्णय के सिद्धांत को एक सख्त कानूनी अर्थ में लागू किया जाना चाहिए।

न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार की मांग है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को प्रभावी किया जाना चाहिए।

36. कानून के शासन द्वारा शासित देश में, एक फैसले की अंतिम निर्णय शक्ति बिल्कुल अनिवार्य है और पार्टियों को न्यायालय के समाप्त हो चुके फैसलों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं है। यह 'स्टेयर डेसिसिस' के सिद्धांत को भी निरस्त कर देगा, जो कि मिसाल का एक अच्छी तरह से स्थापित मूल्यवान सिद्धांत है जिसे तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हो। देश के न्यायालय और विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और न ही इसे रद्द किया जाना चाहिए।

37. एक न्यायिक घोषणा की पहचान उसकी स्थिरता और अंतिम निर्णय शक्ति है। न्यायिक फैसले रेत के टीलों की तरह नहीं होते हैं जो हवा और मौसम की अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं।

38. इस प्रकार, पार्टियों को समाप्त हो चुके फैसलों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह न केवल कानून और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, बल्कि न्याय प्रशासन पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव भी डालेगा।

39. जब कानून की स्थिति अन्य राज्यों में लगभग समान है और जब याचिकाकर्ताओं जैसे कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं को ऐसे लाभों से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

40. चूंकि सफी मोहम्मद (supra) के निर्णय के समय विभिन्न उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के संज्ञान में नहीं लाया गया था और सफी मोहम्मद (supra) के मामले के निर्णय के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी.पी. मुंडिनामनी (supra) और ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन (supra) के मामले में याचिकाकर्ताओं जैसे कर्मचारियों के पक्ष में दो निर्णय दिए गए हैं, जिसमें यह माना गया है कि व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के दिन यानी 30 जून को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार होंगे। इसलिए, बदली हुई परिस्थितियों में याचिकाकर्ता भी इसी तरह के लाभों के हकदार हैं।

41. इसलिए, सी.पी. मुंडिनामनी (supra) और ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन (supra) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव को देखते

हुए, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता अपेक्षित समय यानी एक वर्ष के लिए उनके आचरण के कारण 1 जुलाई को देय वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार होंगे। याचिकाकर्ता 30 जून को अपनी सेवानिवृत्ति के बावजूद 1 जुलाई को सांकेतिक भुगतान पाने के हकदार होंगे।

42. प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर दी गई टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार करें और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को सांकेतिक वेतन वृद्धि दें। याचिकाकर्ताओं की पेंशन परिणामस्वरूप फिर से निर्धारित की जाएगी। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश जारी किए जाएं और पेंशन का बकाया याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाए।"

8. इस न्यायालय ने ध्यान दिया है कि **विजय सिंह** (supra) के मामले में पिछली बार इन याचिकाओं में शामिल मुद्दे के निपटारे के बाद, हजारों समान याचिकाएं पीड़ित व्यक्तियों द्वारा समान आदेशों की मांग करते हुए और **विजय सिंह** (supra) के मामले में पारित आदेशों/निर्देशों के आलोक में उनकी याचिकाओं के निपटारे के लिए दायर की गई हैं।

9. ऐसा लगता है कि बजट भाषण में घोषणा करने से पहले, सरकार **विजय सिंह** (supra) के निर्णय को 'इन पर्सोनम' मान रही थी और इसे 'इन रेम' निर्णय नहीं माना जा रहा था। प्रतिवादी-सरकार के ऐसे कार्य

ने सभी पीड़ित व्यक्तियों के लिए बार-बार समान आदेशों की मांग करते हुए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए द्वार खोल दिए हैं।

10. एक बार जब इस न्यायालय द्वारा **विजय सिंह** (supra) के मामले में निर्णय पारित कर दिया गया है और इसे किसी भी अपीलीय फोरम के समक्ष चुनौती नहीं देकर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो इन परिस्थितियों में, प्रतिवादीगण **विजय सिंह** (supra) के मामले में जारी किए गए निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः और भावना से पालन करने के लिए बाध्य हैं।

11. अब, इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या **विजय सिंह** (supra) के मामले में इस न्यायालय द्वारा समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दिए गए लाभ वर्तमान याचिकाकर्ताओं को और उन व्यक्तियों को भी दिए जा सकते हैं जिन्होंने कोई याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

12. कई मौकों पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय ने भी कहा है कि दो समानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति समान रूप से स्थित हैं, लेकिन उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।

13. सामान्य नियम यह है कि जब व्यक्तियों के एक समूह को इस न्यायालय द्वारा राहत दी जाती है, तो अन्य सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समान लाभों का विस्तार करके समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना भेदभाव होगा और भारत के संविधान के

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार, समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उन लाभों से इनकार करना जो कि एक विशेष समूह के व्यक्तियों को दिए गए हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

14. इस तथ्य को देखते हुए कि हजारों समान रूप से स्थित व्यक्ति पीड़ित हैं और उनमें से कुछ ने इस न्यायालय से संपर्क किया है और उनमें से कुछ चुपचाप बैठे हैं, अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे सभी पीड़ित व्यक्तियों को समान लाभ देंगे, चाहे उन्होंने इस न्यायालय से संपर्क किया हो या नहीं।

15. इस न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई निर्णयों में कहा है कि न्याय कोई बेची जाने वाली वस्तु नहीं है। राज्य के अधिकारियों को पीड़ित व्यक्तियों को कानून की अदालत में संपर्क करने और समान आदेश प्राप्त करने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक बार जब किसी मुद्दे को कानून की अदालत द्वारा तय कर दिया गया है और राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी भी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार, इसने अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया है, तो राज्य के अधिकारी इसके लिए बाध्य हैं। राज्य को सभी पीड़ित व्यक्तियों को समान आदेश प्राप्त करने के लिए बार-बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए अनावश्यक रूप से मजबूर नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में "निर्णय की अंतिम निर्णय शक्ति का सिद्धांत" लागू होता है।

16. यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि जब न्यायालय द्वारा एक निर्णय सुनाया जाता है, जो बड़े पैमाने पर जनता के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो उक्त निर्णय को 'इन रेम' निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को लाभ

देना है, चाहे उन्होंने इस न्यायालय से संपर्क किया हो या नहीं। ऐसी घोषणा के साथ, अधिकारियों पर यह दायित्व डाला जाता है कि वे स्वयं सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को इसका लाभ दें। **विजय सिंह** (supra) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अब से "इन रेम" और "इन पर्सोनाम" नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी समान रूप से स्थित पीड़ित व्यक्तियों को विजय सिंह (supra) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी लाभ दें, उन्हें समान आदेश प्राप्त करने के लिए बार-बार इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए मजबूर किए बिना।

17. इस उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता और सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उचित अभ्यावेदन दायर करके अपने संबंधित विभागों के सचिव या प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं। सचिव और संबंधित विभाग के प्रमुख से अपेक्षा की जाती है कि वे मामले पर विचार करें और विजय सिंह (supra) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में उचित निर्णय लेने के लिए इसे वित्त विभाग को भेजें।

18. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी सचिव या विभाग के प्रमुख को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे तुरंत उस पर विचार करें और इसे जल्द से जल्द, अधिमानतः अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर तय करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जानबूझकर अवज्ञा की जाती है, तो इसे गंभीरता से देखा जाएगा और यह न्यायालय

की अवमानना के बराबर होगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जाएगी जो इसके लिए जिम्मेदार है।

19. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है, उन्हें इस न्यायालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है और वे सीधे अभ्यावेदन दायर करके संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं और विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे **विजय सिंह** (supra) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में इसे तय करें।

20. उपरोक्त के मद्देनजर, इन सभी याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

21. कोई लागत आदेश नहीं।

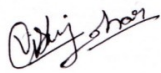
22. आदेश को समाप्त करने से पहले, कल्याणकारी राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह 30 जून को सेवानिवृत्त हुए प्रत्येक सेवानिवृत्त पेंशनरों को इस वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देगी और उन्होंने इस न्यायालय या उनके मूल विभागों से संपर्क किया है। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक विभाग के लिए एक ऐसा तंत्र या वेबसाइट विकसित करेगा जहां ऐसा कोई भी लाभार्थी अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए अपना आवेदन जमा करेगा और संबंधित विभाग द्वारा इसे शीघ्रता से संबोधित किया जाएगा।

23. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक संबंधित फ़ाइल में अलग से रखे।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायाधीश

KuD/8,10,11,12,13,14,15,16,17,
56,75,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
91,120,352,421,422,423,424,471,
475,476,477,510

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़